– सप्तम् अध्याय –

7– सारांश, निष्कर्ष एवं उपादेयता–

7.1– शोध कार्य का सारांश।

7.2– शोध कार्य के निष्कर्ष।

7.3– शोध कार्य की शैक्षिक उपादेयता, सार्थकता एवं परिसीमायें।

7.3.1– अध्ययन की परिसीमायें

7.4– भविष्य में सम्बन्धित दिशा में शोध हेतु सुझाव।

Estelar

सप्तम् अध्याय

7. सारांश, निष्कर्ष एवम् उपादेयता :–

7.1 शोध का सांराश :–

प्रस्तुत भाग में शोधार्थी द्वारा अनुसंधान कार्य का सारांश प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसमें प्रथम अध्याय में शोध की प्रस्तावन तथा प्रस्तावित रूपरेखा के अन्तर्गत अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए उक्त समस्या का चयन क्यों किया गया है इसको भी उल्लेखित किया गया है। इस अध्याय में समस्या का शाब्दिक परिभाषिकरण भी किया गया है। इस अध्याय में अध्ययन विधि किस प्रकार की है इसको भी उजागर करने का प्रयास किया गया है। इस शोध कार्य को किन उद्देश्यों को लेकर चयनित किया गया है उसके भी स्पष्ट किया गया है (जो उद्देश्य निम्नवत् है) –

इस अनुसंधान कार्य के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अध्याय में भारत व उत्तराखण्ड में पुलिस का सकल्पनात्मक स्वरूप तथा उत्तराखण्ड में पुलिस की प्रस्तावित ऐतिहासिक परिकल्पना को स्पष्ट किया गया है। इस अध्याय के प्रथम भाग में भारत व उत्तराखण्ड में पुलिस के संकल्पनात्मक स्वरूप के तहत सर्वप्रथम पुलिस की सकल्पना को स्पष्ट किया गया है जिसमें प्राचीन काल में किस प्रकार पुलिस व्यवस्था इस नाम से प्रारम्भ हुई इस तथ्य को उल्लेखित किया गया है। इसके अन्तर्गत प्राचीन काल ही नही आज तक यह व्यवस्था कैसे विकसित हुई इसको भी स्पष्ट किया गया है। इस पाठ में पुलिस की संकल्पना के उपरान्त भारत में पुलिस के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। जिसमें पुलिस का स्वरूप किस प्रकार कैसे परिवर्तित होता गया इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस भाग में भारत में पुलिस की रूपरेखा के रूप में पुलिस का दायित्व व कर्तव्य किस प्रकार के होते हैं तथा कहाँ पुलिस का उपयोग किस प्रकार रहता है आदि को स्पष्ट किया गया है। इस अध्याय के प्रथम भाग में ही उत्तराखण्ड में पुलिस के स्वरूप के अन्तर्गत पुलिस की उत्तराखण्ड में किस प्रकार की स्थिति थी तथा पुलिस के द्वारा उत्तराखण्ड में अपनी भूमिका का निर्वहन विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार से किया है। इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। उत्तराखण्ड में पुलिस को किस प्रकार से प्रयोग में लाया गया आदि को स्पष्ट किया गया है।

Estelar

अनुसंधान के द्वितीय अध्याय के द्वितीय भाग में उत्तराखण्ड में पुलिस की प्रस्तावित ऐतिहासिक परिकल्पना को उल्लेखित किया गया है जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड में विभिन्न कालों में किस प्रकार पुलिस प्रशासन था उसका उल्लेख किया गया है। इस भाग में उत्तराखण्ड में प्राचीन काल किस प्रकार प्रशासन में पुलिस की भूमिका रहती थी तथा कौन से राजवंश पुलिस व्यवस्था के तहत किस अधिकारी की नियुक्ति करते थे को स्पष्ट किया गया है इसी प्रकार मध्यकाल में उत्तराखण्ड में किन शासकों या वंशजों द्वारा राज किया गया तथा उनकी प्रशासन व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन किस प्रकार कार्य करता था को उल्लेखित किया गया है। द्वितीय भाग में आधुनिक काल के पुलिस का स्वरूप उत्तराखण्ड में किस प्रकार रहता था को भी वर्णित किया गया है जिसमें अंग्रेजी शासकों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है इस भाग में उत्तराखण्ड में अंग्रेजों द्वारा अपनायी दोहरी शासन व्यवस्था को भी स्पष्ट किया गया है। द्वितीय अध्याय के द्वितीय भाग के अन्तिम भाग में स्वतन्त्रता के पश्चात उत्तराखण्ड में पुलिस के स्वरूप का प्रस्तावित वर्णन किया गया है जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश का भाग होने के कारण पुलिस व्यवस्था की स्थिति किस प्रकार की थी इत्यादि का उल्लेख किया गया है।

शोध प्रबन्ध के तृतीय अध्याय में प्राचीन भारत में पुलिस तथा उत्तराखण्ड को स्पष्ट किया गया है। इस अध्याय के प्रथम भाग में प्राचीन भारत में पुलिस के योगदान को स्पष्ट किया गया है। जिसमें प्राचीन कालीन पुलिस के स्वरूप का उल्लेख करते हुए वर्णित किया गया है कि पुलिस उस समय किन–किन प्राचीन राजवंशों के समय ठीक प्रकार की थी तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को महाकाव्य काल, महाभारत या ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था एवं प्राचीन काल के दो महत्वपूर्ण राजवंश मौर्य तथा गुप्त काल में उनके स्वरूप किस प्रकार के थे। इस भाग में उन अधिकारियों की भूमिकाओं को भी उजागर करने का प्रयास किया गया है। उस समय पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार कार्य करते थे आदि को भी स्पष्ट किया गया है। उस समय प्रशासन की दृष्टि से पुलिस विभाग की आवश्यकता किस प्रकार रही होगी इन सब तथ्यों का सारगर्भित तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

तृतीय अध्याय के द्वितीय भाग जो प्राचीन कालीन उत्तराखण्ड की प्रशासनिक स्थिति से सम्बन्धित है इस भाग में प्राचीन काल में उत्तराखण्ड में किन–किन राजवंशों ने राज किया तथा उनकी प्रशासनिक स्थिति, सामाजिक स्थिति तथा राजनैतिक स्थिति किस प्रकार

Estelar

की थी आदि को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस भाग के प्रथम उपखण्ड में प्राचीन कालीन उत्तराखण्ड की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उस समय उत्तराखण्ड में कुणिन्दों का शासन था परन्तु धीरे–धीरे इनकी शक्ति का पराभव हुआ फिर उत्तराखण्ड में पौरव वंश का शासन स्थापित हुआ। प्राचीन उत्तराखण्ड में सबसे महत्वपूर्ण तथा विशाल साम्राज्य कत्यूरी शासकों का था। कत्यूरी शासक का साम्राज्य काबुल तक फैला था इनका शासन काल भी लगभग 400 वर्ष तक उत्तराखण्ड में रहा। इस साम्राज्य की जड़े बहुत लम्बी थी। इनकी प्रशासन व्यवस्था भी उत्तम रही। इसके उपरान्त उत्तराखण्ड में चन्द तथा पंवार वंशीय शासकों का कुमाऊँ तथा गढ़वाल के क्षेत्रों में शासन रहा इन सब तथ्यों का वर्णन इस भाग में किया गया है। इस भाग में प्राचीन कालीन उत्तराखण्ड की सामाजिक स्थिति का वर्णन भी किया गया है। उस समय समाज की स्थिति किस प्रकार की थी। समाज में किन–किन परम्पराओं तथा रीति रिवाजों को मनाया जाता था आदि का वर्णन किया गया है। इस भाग में उत्तराखण्ड की प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन के स्वरूप का भी वर्णन प्राप्त हुआ है। जिसके अन्तर्गत प्रशासनिक व्यवस्थाओं में पुलिस के प्रभाव का वर्णन भी मुख्य रूप से किया गया है। इस प्रकार तृतीय अध्याय के द्वितीय भाग के अन्तर्गत प्राचीन कालीन उत्तराखण्ड से सम्बन्धित समस्त राजवंशों तथा उनकी राजनीति एवं समाज की सामाजिक स्थिति तथा प्रशासनिक स्थिति में पुलिस प्रशासन की भूमिका तथा प्रभाव का वर्णन किया गया है।

शोधकर्ता द्वारा शोध के चतुर्थ अध्याय में मध्यकालीन भारत में पुलिस तथा उत्तराखण्ड पर आधारित तथ्यों का वर्णन किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली सलतनत् तथा मुगल सम्राटों के समय में भारत तथा उत्तराखण्ड के भूभाग के शासकों का उल्लेख किया गया है। इस भाग में दिल्ली सलत्नत के अन्तर्गत मुहम्मद गौरी से लेकर समस्त अन्य मुगल सम्राटों के द्वारा भारत में चयनित प्रशासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। इस भाग में आन्तरिक शान्ति तथा सुरक्षा हेतु किन–किन प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया था एवं उनके द्वारा किस प्रकार व्यवस्थाओं को गतिशील रखा गया इन सबका उल्लेख किया हुआ है। दिल्ली सलतनत् तथा मुगलकालीन शासन प्रबन्ध में किस प्रकार से पुलिस प्रशासन कार्य करता था इसका वर्णन इस भाग में किया गया है।

शोध के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय भाग में उत्तराखण्ड का स्वरूप तथा उसमें पुलिस की भूमिका किस प्रकार की रही इसका वर्णन किया गया है। मुगल कालीन साम्राज्य के

Estelar

समय उत्तराखण्ड में मुख्य रूप से प्रारम्भिक काल में कत्यूरी राजवंश तथा बाद में चंद शासकों का शासन रहा तथा गढ़वाल में पंवार वंशीय द्वारा शासन किया। उस समय के चंद वंशीय शासकों द्वारा अपने हितों की सिद्धि हेतु मुगल शासकों से सदैव सन्धि नियोजित रखी। मुगल शासकों के ये सदा दया के पात्र बने रहे। इस समय उत्तराखण्ड की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी तथा समाज में पुलिस की भूमिका किस प्रकार की रही होगी आदि का वर्णन भी किया गया है। इस भाग में उत्तराखण्ड की सामाजिक स्थिति पर पुलिस के प्रभाव का वर्णन भी इस भाग में मुख्य रूप से किया गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत उत्तराखण्ड की प्रशासनिक स्थिति तथा उस पर पुलिस के प्रभाव का वर्णन भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय के द्वितीय भाग में मध्यकाल में उत्तराखण्ड में पाये जाने राजवंशों, उनकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति तथा प्रशासनिक स्थिति एवं उसमें पुलिस के प्रभाव तथा उस काल में पुलिस की भूमिका का वर्णन किया गया है।

प्रस्तुत अनुसंधान के पंचम अध्याय में आधुनिक भारत में पुलिस तथा उत्तराखण्ड का वर्णन प्राप्त हुआ है। इस अध्याय में मुख्य रूप से ब्रिटिश तथा पूर्व ब्रिटिश कालीन भारत का वर्णन प्राप्त होता है। इस अध्याय के प्रथम भाग में विभिन्न ब्रिटिश शासकों द्वारा किस प्रकार प्रान्तीय पुलिस व्यवस्था को केन्द्रिय रूप में बदला गया आदि का वर्णन किया गया है। इस अध्याय के प्रथम भाग में समय–समय पर पुलिस प्रशासन को सुधारने हेतु भिन्न–भिन्न यूरोपीय शासकों द्वारा प्रशासन में परिवर्तन लाने हेतु दिये गये सुझावों तथा निर्मित किये गये एक्टों का वर्णन किया गया है। इस भाग में ब्रिटिश शासकों की दोहरी नीति तथा दोगले चरित्र का उल्लेख भी प्राप्त होता है। ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रशासन को सुधारने के लिए जिन अमूलचूक परिवर्तनों को किया गया जो आज भी नियमावली के रूप में कार्यरूप में है उनका वर्णन भी किया गया है।

इस अध्याय के प्रथम भाग में ब्रिटिश सरकार को किन भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनों का दमन करना पड़ा तथा उनके क्या परिणाम रहे का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस समय क्रान्तिकारियों द्वारा किये गये आन्दोलनों का दमन किस प्रकार किया गया तथा पुलिस द्वारा उनका विरोध किस प्रकार किया गया इन तथ्यों का उल्लेख भी किया गया है। इस अध्याय में राष्ट्रीय आन्दोलनों की धारा बने वेग को शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार द्वारा रोकना किस प्रकार मुश्किल हो रहा था आदि का वर्णन भी प्राप्त होता है। जिसके

Estelar

परिणाम स्वरूप किस प्रकार ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत का विभाजन कर उसे स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया इत्यादि का उल्लेख विस्तृत रूप में प्राप्त होता है।

पंचम् अध्याय के द्वितीय भाग में आधुनिक भारत में उत्तराखण्ड का स्वरूप तथा उसमें पुलिस की भूमिका का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें मुख्य रूप से उस समय उत्तराखण्ड में गोरखा साम्राज्य को समाप्त कर अंग्रेजों द्वारा अपने राज्य की स्थापना की गयी जिसमें दोहरी व्यवस्था रखी जहाँ टिहरी रियासत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन कायम किया वहीं शेष उत्तराखण्ड में ब्रिटिश राज्य प्रत्यक्ष रूप से स्थापित किया जिसका ब्रिटिश कालीन मुख्यालय अल्मोड़ा था उसके उपरान्त उत्तराखण्ड को तीन जिलों अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल के रूप में बाँटा गया। उस समय उत्तराखण्ड एक शान्तप्रिय भूभाग था जहाँ पर प्रशासन कार्य सरलता से गतिमान होता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में राजस्व पुलिस से ही नियमित पुलिस का भी कार्य लिया गया। जिसमें पटवारी, पेशकारों को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गयी। उस समय उत्तराखण्ड में कुली बेगार प्रथा के अतिरिक्त कोई बड़ा आन्दोलन भी ब्रिटिश हुकुमत के खिलाफ नहीं हुआ। इस भाग में किस प्रकार की बन्दोबस्ती व्यवस्था की गयी इसका उल्लेख भी प्राप्त होता है। किन–किन ब्रिटिश शासकों द्वारा उत्तराखण्ड में शासन किया तथा उनके प्रशासन का स्वरूप क्या था इसका वर्णन भी प्राप्त होता है।

इस अध्याय के द्वितीय भाग में टिहरी रियासत के शासकों (सुदर्शन शाह से मानवेन्द्र शाह तक) का शासन काल किस आधार का था तथा उनकी शासन प्रणालियाँ कैसी थी एवं उनके शासकों द्वारा किस प्रकार राजस्व पुलिस तथा नियमित पुलिस का गठन किया इत्यादि का वर्णन भी प्राप्त होता है। यह रियासत किस प्रकार अंग्रेजी शासकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पोषित थी इसका उल्लेख भी इस भाग में प्राप्त होता है। इस प्रकार उत्तराखण्ड में उस समय की सामाजिक स्थिति, शासकों तथा उनकी शासकीय प्रणालियाँ किस प्रकार से कार्य करती थी इसका वर्णन भी प्राप्त होता है। अतः इस अध्याय के द्वितीय भाग में ब्रिटिश कालीन समाज, राजनीति, प्रशासन के साथ उत्तराखण्ड में इन अंग्रेजी शासकों की कार्यशैली का वर्णन प्राप्त होता है।

अनुसंधान के षष्टम् अध्याय में स्वतन्त्र भारत में उत्तराखण्ड राज्य का स्वरूप तथा उसमें पुलिस की भूमिका का वर्णन किया गया है इस अध्याय के प्रथम भाग में स्वतन्त्र भारत में उत्तराखण्ड राज्य के स्वरूप का उल्लेख किया गया है। जिसके उपखण्ड के प्रथम

Estelar

भाग में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति एवं अस्तित्व का उल्लेख किया गया है। इस खण्ड में उत्तराखण्ड राज्य की स्वतन्त्रता के समय की स्थिति तथा उसके शासकीय स्वरूपों में आये परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है। इसमें उत्तराखण्ड की पूर्व संज्ञा उत्तर प्रदेश राज्य के अंश के रूप में उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग था। जिसका समय–समय पर विभिन्न जिलों में विभाजन किस प्रकार का हुआ उसका वर्णन भी किया गया है। इस खण्ड में उत्तराखण्ड के अस्तित्व का भी उल्लेख किया गया है इस प्रदेश में कितने विधान सभा, लोकसभा तथा जनपद एवं मण्डल आदि सभी का वर्णन करते हुए प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप तथा भौगोलिक स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। इस खण्ड में उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक धरोहर का प्रस्तावित स्वरूप को भी वर्णित किया गया है।

षष्टम् अध्याय के प्रथम भाग के द्वितीय खण्ड में उत्तराखण्ड राज्य की राजनैतिक स्थिति का अवलोकन किया गया है जिसके अन्तर्गत स्वतन्त्रता से पूर्व की राजनैतिक स्थिति से जोड़ते हुए ब्रिटिश कालीन व्यवस्था का उल्लेख के साथ पृथक उत्तराखण्ड राज्य के रूप में भी वर्णन किया गया है। पृथक उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के उपरान्त राज्य में राजनैतिक क्षेत्र में क्या–क्या परिवर्तन हुए उन सबका उल्लेख भी इस खण्ड में किया गया है। समय–समय पर किस राजनैतिक दल द्वारा सत्ता की कमान सभाली गयी इन सब तथ्यों का उल्लेख भी इस भाग में किया गया है।

पष्टम् अध्याय के प्रथम भाग के तृतीय उपखण्ड में उत्तराखण्ड राज्य की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इस खण्ड में उत्तराखण्ड के रीति–रिवाजों, परमपराओं, मान्यताओं तथा सिद्वान्तों का वर्णन किया गया है। इस भाग में उत्तराखण्ड के खान–पान, पहनावे, वस्त्र, आभूषणों का वर्णन भी किया गया है। इस खण्ड में उत्तराखण्ड के लोगों द्वारा अपनाये गये संस्कारों का भी उल्लेख किया गया है। इस खण्ड में उत्तराखण्ड के विभिन्न जातियों, मेले, त्यौहारों आदि का भी उल्लेख किया गया है। इस खण्ड में उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत का भी विवरण प्राप्त होता है। उत्तराखण्ड को देवभूमि कहने के कारण इसका स्वरूप किस प्रकार रहा इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है।

इस अध्याय के प्रथम भाग के चतुर्थ खण्ड में उत्तराखण्ड राज्य की प्रशासनिक स्थिति का वर्णन किया गया है। राज्य को कितने मण्डलों तथा जिलों में विभाजित किया गया है। इस प्रदेश में कितने शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, पर्यावरण तथा खगोल संस्थान एवं विभिन्न प्रशासनिक संस्थान हैं उनका वर्णन किया गया है। उत्तराखण्ड का

Estelar

शासन, प्रशासन तथा सैन्य सेवाओं से सम्बन्धित इकाईयों एवं सैन्य योगदानों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड का प्रशासन के क्षेत्र में क्या योगदान है इसका वर्णन भी इस खण्ड में किया गया है।

पष्टम् अध्याय के द्वितीय भाग में स्वतन्त्र भारत में उत्तराखण्ड राज्य पुलिस की भूमिका का वर्णन करते हुए द्वितीय भाग के प्रथम उपखण्ड में पुलिस के संरचनात्मक स्वरूप का वर्णन किया गया है। जिसमें उत्तराखण्ड राज्य को भी अन्य राज्य की भाँति किन केन्द्रिय पुलिस बलों की सहायता प्राप्त हो सकती है आदि का वर्णन प्राप्त होता है। इस भाग में भी अन्य राज्यों की भाँति पुलिस प्रशासन के संगठन का विवरण प्राप्त होता है। यह पुलिस प्रशासन किस प्रकार राज्य में अपने कार्य का निष्पादन करता है इस तथ्य को भी वर्णित किया गया है। इस भाग में उत्तर प्रदेश राज्य का भी वर्णन किया गया है। इस खण्ड में नियमित पुलिस के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य में आज भी अवस्थित राजस्व पुलिस की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है।

इस अध्याय के द्वितीय भाग के द्वितीय खण्ड में अपराध के स्वरूप के साथ अपराध नियन्त्रण हेतु बनाये गये प्रावधानों एवं कानूनों का वर्णन किया गया है। इन कानूनों का प्रयोग पुलिस द्वारा किस प्रकार किया जाता है इस तथ्य का उल्लेख भी इस खण्ड में किया गया है। पुलिस अपराध नियन्त्रण हेतु अपनी सेवाओं का प्रयोग किस प्रकार करती है इसका वर्णन भी इस खण्ड में किया गया है। पुलिस प्रशासन किस प्रकार से अपराधियों तक पहुँचती है तथा गोपनियता के आधार पर कार्य का निष्पादन किया जाता है और अपराधियों को पकड़ा जाता है इसका उल्लेख भी इस खण्ड में किया गया है। किन–किन धाराओं का कब प्रयोग किया जाता है तथा दंगों इत्यादि पर नियन्त्रण का आधार किस प्रकार होता है कौन सी धारा का प्रयोग कब किया जाता है इत्यादि तथ्यों का उल्लेख भी इसी खण्ड में किया गया है।

इस अध्याय के द्वितीय भाग के तृतीय खण्ड में पुलिस द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के विभिन्न परिस्थितियों के नियन्त्रण को स्पष्ट किया गया है। पुलिस के सर्वोच्च राजकीय राज्य अधिकारी के लिए अपना राज्य तथा जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी के लिए उसका जिला तथा थानाध्यक्ष के लिए उसका थाना उसका कार्यक्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने जिले की परिस्थितियों तथा थानाध्यक्ष अपने थाने की परिस्थितियों का नियन्त्रण किस प्रकार करता है इसका उल्लेख इस खण्ड में

Estelar

किया गया है। थानाध्यक्ष को अपने थाने में क्या–क्या करना चाहिए तथा कार्यो का विभाजन किस आधार पर किया जाना चाहिए इस तथ्य का वर्णन भी किया गया है। इस खण्ड में थानाध्यक्ष द्वारा किन–किन पंजिकाओं का संचालन किस–किस प्रकार करना चाहिए तथा थानाध्यक्ष को अपराध नियन्त्रण के लिए किस–किस प्रकार रणनीति बनानी चाहिए एवं वैज्ञानिक तथा साइबर आधारित अपराधों पर किस प्रकार नियन्त्रण किया जाना चाहिए आदि का उल्लेख इस खण्ड में किया गया है।

पष्टम् अध्याय के द्वितीय भाग के चतुर्थ खण्ड में पुलिस व समाज का वर्णन किया गया है। पुलिस का समाज से अन्योनश्रित सम्बन्ध है। पुलिस का दायित्व समाज व जनता की सुरक्षा करना ही है। पुलिस का मुख्य कर्तव्य कानून व व्यवस्था का निर्माण करना है। कानून व्यवस्था का सीधा सम्पर्क जनता अथवा समाज से ही होता है। पुलिस अपने कार्यो व दायित्वों का निर्वहन बिना जनता या समाज के सहयोग से नहीं सम्पादित कर सकती है। पुलिस किस प्रकार से जनता का सहयोग प्राप्त करती है। इस तथ्य का विवरण इस भाग में प्राप्त होता है। पुलिस की कार्यशैली कैसी होनी चाहिए जिससे उसकी छवी सुधर जाय इसका उल्लेख भी इस खण्ड में किया गया है। पुलिस को अपने कार्य सम्पादन हेतु कब कहाँ किस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर दगों या भीड़ पर नियन्त्रण किस प्रकार किया जाय आदि का वर्णन भी इस खण्ड में किया गया है। पुलिस प्रशासन के लिए समाज में व्याप्त तनाव को भॉपना भी आवश्यक होता है इसलिए तनाव का स्वरूप जानना भी आवश्यक होता है। पुलिस तनाव को कैसे भॉपती है इसका वर्णन इस अध्याय के इस खण्ड में प्राप्त होता है। इस प्रकार पष्टम् अध्याय के अन्तिम खण्ड में पुलिस व समाज का वर्णन किया गया है।

7.2 शोध कार्य के निष्कर्ष :–

शोध विषय का अत्यन्त गहन तथा विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त शोधार्थी निम्न निष्कर्षों पर पहुँचा है जो निम्नवत् हैं :–

1– कानून व व्यवस्था को सुधारने के लिए तथा समाज में शान्ति व्यवस्था के निर्माण हेतु पुलिस की अत्यधिक आवश्यकता होती है या यह कहा जायेगा कि पुलिस प्रशासन के बिना कानून व व्यवस्था का निर्माण कदापि सम्भव नहीं है।

Estelar

2– ऋग्वैदिक काल से वर्तमान तक कानून व व्यवस्था बनाने के लिए एक संस्था अवश्य थी जो पुलिस प्रशासन या उससे सम्बन्धित अन्य रूप में अवश्य रही है जो वर्तमान में पूर्ण पुलिस प्रशासन के रूप में है।

3– उत्तर प्राचीनकालीन उत्तराखण्ड में जिन राजवंशों का शासन था उनके द्वारा आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था हेतु पुलिस प्रशासन का गठन किया गया जो उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने में सहायक रहा।

4– मध्यकालीन भारतीय सुलतानों तथा शासकों द्वारा अत्यन्त सुदृढ़ कानून व व्यवस्था का निर्धारण किया जिसमें आन्तरिक सुरक्षा व शान्ति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कर पुलिस विभाग का गठन किया जो आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति व्यवस्था का निर्धारक रहा।

5– मध्यकालीन उत्तराखण्ड में जिस राजवंश का राज्य था उसकी प्रशासन व्यवस्था अत्यधिक सुदृढ़ रही तथा पुलिस प्रशासन के माध्यम से ही कानून व व्यवस्था का निर्धारण किया गया।

6– ब्रिटिश शासकीय भारत में प्रशासन व्यवस्था अत्यधिक उत्तम आधार की रही। ब्रिटिश शासकों द्वारा दंगों, उपद्रवों व आन्दोलनों को दबाने एवम् शान्ति व्यवस्था बनाने हेतु केन्द्रिय पुलिस व्यवस्था की संरचना बनायी।

7– ब्रिटिश शासकों द्वारा पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु अनेकों पुलिस एक्ट बनाये जिनके द्वारा स्थायी शान्ति व्यवस्था का निर्धारण करने में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

8– ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में स्थायी बन्दोबस्ती व्यवस्था दी तथा सक्रिय प्रशासनिक स्वरूप का निर्धारण कर इस प्रदेशों में अपराधों की न्यूनता के कारण सुदृढ़ राजस्व पुलिस का गठन किया गया। जो उत्तराखण्ड के ग्रामीण अंचलों के लिए आज भी उत्तम पुलिस व्यवस्था रही है।

9– स्वतन्त्र भारत में ब्रिटिश कालीन पुलिस एक्ट (1861) के आधार पर ही प्रशासन व्यवस्था के अर्न्तगत पुलिस प्रशासन का गठन किया गया जिसका सर्वोच्च अधिकारी वही रहा जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था।

Estelar

11– ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित पुलिस आचार संहिता के आधार पर ही आंशिक परिवर्तन के साथ वर्तमान आचार संहिता क्रियान्वित हो रही है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के वर्तमान पुलिस प्रशासन की कानूनी आधारशिला ब्रिटिश शासन की ही देन है।

12– वर्तमान उत्तराखण्ड प्रशासन में पुलिस प्रशासन के अन्तर्गत समस्त नवीन पद्धतियों का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक माना गया है। जिससे उत्तराखण्ड पुलिस भी अपराधों से सम्बन्धित वादों की उत्तम विवेचना कर रही है तथा भविष्य में भी कर सके।

13– उत्तराखण्ड पुलिस प्रशासन के अर्न्तगत जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा थाने के थानाध्यक्ष को अपने क्षेत्र का सम्पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है जिससे कानून व व्यवस्था का उत्तम निर्धारण किया जाता है।

14– उत्तराखण्ड में पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है। वास्तव में उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त पुलिस का गठन इसी प्रतिज्ञा के साथ किया गया था परन्तु अनेक स्थानों पर पुलिस का स्वरूप दमनात्मक रहता है। जिसके लिए राज्य द्वारा लोकतंत्रिय व्यवस्था निर्धारित करते हुए पुलिस के नकारात्मक भूमिका की शिकायत हेतु पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया है जो कार्यशैली को सुधारने में अहम भूमिका अदा करता है।

15– उत्तराखण्ड राज्य प्रशासन में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है पुलिस का सीधा सम्बन्ध समाज या जनता से होता है। राज्य पुलिस प्रशिक्षणों व राजकीय दिशा निर्देशों पुलिस को समाज से जोड़ते हैं जिसमें राज्य सफल हुआ है। जिसके परिणाम स्वरूप समाज की भागीदारी से पुलिस राज्य में अपराधों पर नियन्त्रण करने में सफल हुयी है।

16– उत्तराखण्ड राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग पुलिस प्रशासन में पुलिस के कर्तव्यों तथा दायित्वों को समझने हेतु पुलिस को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे पुलिस प्रशासन सुदृढ़ हो सके। ऐसा करने में राज्य प्रशासन के प्रशिक्षण सफल रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि उत्तराखण्ड राज्य प्रशासन में पुलिस की भूमिका कतिपय मामलों को छोड़कर सकारात्मक, सराहनीय एवं प्रशंसनीय है।

Estelar

7.3 शोध कार्य की शैक्षिक उपादेयता, सार्थकता एवम् परिसीमायें :–

प्रस्तुत शोध कार्य "उत्तराखण्ड राज्य प्रशासन में पुलिस की भूमिका एक अध्ययन" शैक्षिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ज्ञान कोष है। यह अनुसंधान जहाँ उत्तराखण्ड में पुलिस की सम्पूर्ण कार्यशैली, संगठन तथा रूपरेखा का ज्ञान प्रदान करता है वहीं यह पुलिस प्रशासन में वर्तमान में निहित कमियों को इंगित करने का कार्य भी करता है। इस शोध प्रबन्ध के द्वारा उत्तराखण्ड की प्रशासनिक स्थिति का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें प्रशासनिक कार्यों में पुलिस किस प्रकार सहायक होती है इस तथ्य का भी ज्ञान प्राप्त होता है।

इस शोध कार्य से पुलिस का भारत में स्वरूप का ज्ञान भी प्राप्त होता है। यह शोध पुलिस शब्द की अवधारणा को स्पष्ट कर उसके वृहत स्वरूप को स्पष्ट कर रहा है। इसके द्वारा पुलिस की सम्पूर्ण रूपरेखा का ज्ञान प्राप्त होता है। वह भारत में प्राचीन काल से वर्तमान काल तक पुलिस की रूपरेखा को स्पष्ट करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा। इसके माध्यम से पुलिस की संकल्पना का ज्ञान प्राप्त होता है तथा यह भी स्पष्ट होता है कि पुलिस शब्द किस प्रकार से हमारे कानून व व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य बन गया। इस शब्द के माध्यम से एक व्यवस्था का सूत्रपात हुआ है। इसके माध्यम से भारत में पुलिस के स्वरूप की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जायेगी तथा भारत में पुलिस किस प्रकार कार्य करेगी यह भी स्पष्ट करता है। इस शोध में उत्तराखण्ड में पुलिस का स्वरूप किस प्रकार का है तथा उसकी रूपरेखा का ज्ञान भी प्राप्त करना सरल है।

यह शोध कार्य जहाँ उत्तराखण्ड की शासकीय व्यवस्था या प्रणाली को समझने में सहायक है वहीं इस शोध के माध्यम से उत्तराखण्ड में पुलिस की प्रस्तावित ऐतिहासिक परिकल्पना का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है विभिन्न कालों में उत्तराखण्ड के राजवंशों द्वारा प्रयुक्त की गयी शासन प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त होता है। वहीं उन राजवंशों द्वारा पुलिस प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए किस नाम के पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की तथा किस प्रकार से आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाया गया इस तथ्य का भी ज्ञान प्राप्त होता है। यह शास्त्र उत्तराखण्ड में पुलिस प्रशासन के व्यवस्थित स्वरूप का क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है। इसके माध्यम से प्राचीन काल से वर्तमान तक उत्तराखण्ड में पुलिस का स्वरूप किस प्रकार का रहा तथा पुलिस के द्वारा किस प्रकार कानून व व्यवस्था का निर्धारण किया गया आदि सभी का ज्ञान प्राप्त होता है।

Estelar

इस शोध कार्य से पुलिस का भारत में स्वरूप का ज्ञान भी प्राप्त होता है। यह शोध पुलिस शब्द की अवधारणा को स्पष्ट कर उसके वृहत स्वरूप को स्पष्ट कर रहा है। इसके द्वारा पुलिस की सम्पूर्ण रूपरेखा का ज्ञान प्राप्त होता है। वह भारत में प्राचीन काल से वर्तमान काल तक पुलिस की रूपरेखा को स्पष्ट करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा। इसके माध्यम से पुलिस की सफलता का ज्ञान प्राप्त होता है तथा यह भी स्पष्ट होता है कि पुलिस शब्द किस प्रकार से हमारे कानून व व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य बन गया। इस शब्द के माध्यम से एक व्यवस्था का सूत्रपात हुआ है। इसके माध्यम से भारत में पुलिस के स्वरूप की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जायेगी तथा भारत में पुलिस किस प्रकार कार्य करेगी यह भी स्पष्ट करता है। इस शोध में उत्तराखण्ड में पुलिस का स्वरूप किस प्रकार का है तथा उसकी रूपरेखा का ज्ञान भी प्राप्त करना सरल है।

यह शोध कार्य जहाँ उत्तराखण्ड की शासकीय व्यवस्था या प्रणाली को समझने में सहायक है वहीं इस शोध के माध्यम से उत्तराखण्ड में पुलिस की प्रस्तावित ऐतिहासिक परिकल्पना का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है विभिन्न कालों में उत्तराखण्ड के राजवंशों द्वारा प्रयुक्त की गयी शासन प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त होता है। वहीं उन राजवंशों द्वारा पुलिस प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए किस नाम के पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की तथा किस प्रकार से आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाया गया इस तथ्य का ज्ञान प्राप्त होता है। यह शास्त्र उत्तराखण्ड में पुलिस प्रशासन के व्यवस्थित स्वरूप का क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है। इसके माध्यम से प्राचीन काल से वर्तमान तक उत्तराखण्ड में पुलिस का स्वरूप किस प्रकार का रहा तथा पुलिस के द्वारा किस प्रकार कानून व व्यवस्था का निर्धारण किया गया सबका ज्ञान प्राप्त होता है।

प्रसंग प्रस्तुत शोध के माध्यम से ग्राही को प्राचीन भारतीय पुलिस के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है तथा इसमें प्राचीन काल में पुलिस की भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा उसकी आवश्यकता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इस अध्ययन माला में प्राचीन भारतीय उत्तराखण्ड का स्वरूप किस प्रकार का रहा तथा उस समय किन राजवंशों का राज उत्तराखण्ड में था तथा उनकी शासकीय व्यवस्थाएँ किस प्रकार से संचालित होती थी तथा उन सब व्यवस्थाओं में पुलिस व्यवस्था किस प्रकार भूमिका का निर्वहन कर रही थी तथा पुलिस बलों का क्या प्रभाव था इन तथ्यों का सूक्ष्यपरक एवम् विस्तृत ज्ञान प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। यह शोध प्राचीन कालीन भारतीय शासन व्यवस्थाएँ (मौर्य व गुप्त

Estelar

काल) का सम्पूर्ण ज्ञान तथा उस समय प्रशासन व्यवस्था के अर्न्तगत पुलिस व्यवस्था का गहन ज्ञान प्रदान करने में सहायक होगा।

शोध की शैक्षिक भूमिका का अवलोकन करने से अवगत होता है कि इसके माध्यम से मुगलकालीन सुलतानों द्वारा निरूपित प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है उनके प्रशासनिक इकाईयाँ कितनी मजबूत रही तथा उसमें सुरक्षा व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था बनाने वाला अधिकारी कैसा था उसके पास किस प्रकार की शक्तियाँ थी तथा उसके क्या–क्या उत्तरदायित्व होते थे आदि सभी का ज्ञान प्राप्त होता है। मध्यकालीन भारत में पुलिस बल का स्वरूप के साथ ही साथ उसकी भूमिकाओं, कार्यक्षेत्रों तथा आवश्यकताओं का ज्ञान भी इस शोध ग्रन्थ के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके माध्यम से प्राचीन तथा मध्यकाल की पुलिस कार्यशैली का तुलनात्मक ज्ञान भी प्राप्त करना सरल हो गया है।

इन अनुसंधान के अध्ययन से मध्यकालीन उत्तराखण्ड के राजवंशों तथा उनके द्वारा की गयी राजनीति का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें मध्यकालीन उत्तराखण्ड की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इसलिए उस समय किस प्रकार की व्यवस्थाएँ रही उनका अवलोकन भी सरलता के आधार पर सम्भव है। इस शोध में मध्यकालीन उत्तराखण्ड की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वर्णन भी किया गया है जो अध्ययनकर्ता को सुगमता के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सुदृढ़ता या लचरपन की सूचना या ज्ञान प्रदान कर सकने में सहायक सिद्ध होता है। इस भाग के अध्ययन से उत्तराखण्ड की सामाजिक स्थिति तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओ में पुलिस की भूमिका तथा पुलिस के प्रभाव का ज्ञान प्राप्त होता है।

भारत में किस प्रकार ब्रिटिश शासकों द्वारा अपना अधिपत्य स्थापित किया तथा धीरे–धीरे उनके द्वारा भारत की सम्पूर्ण प्रशासनिक स्वरूप में अपना अधिकार स्थापित कर अपने आधार पर सरकार का संचालन किया आदि तथ्यों का ज्ञान इस अध्ययन ग्रन्थ के माध्यम से प्राप्त होता है। इस अध्ययन ग्रन्थ में किस प्रकार अंग्रेजों द्वारा केन्द्रिय पुलिस व्यवस्थाओं का गठन किया गया आदि का ज्ञान भी प्राप्त होता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस प्रकार की भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्धारण किया गया तथा सरकार द्वारा दंगों व उपद्रवों एवम् आन्दोलनों से निपटने हेतु किस प्रकार की पुलिस बल का गठन किया तथा पुलिस सेवा को सशक्त बनाने के लिए अन्य क्या–क्या कार्य किये गये। इन सबका ज्ञान भी इसके माध्यम से प्राप्त होता है। पुलिस व्यवस्था को सुधारने की इच्छा से तथा पुलिस को शक्तिसम्पन्न अधिकार युक्त बनाने एवं कानूनी रूप में व्यवस्थओं को सुदृढ़

Estelar

बनाने हेतु पुलिस व्यवस्थाओं के लिए आचार संहिता का निर्माण किया गया इन सबका विस्तृत ज्ञान इस शोध ग्रन्थ से होता है। इस शोध के द्वारा पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा न्यायालयों की प्रक्रिया का ज्ञान भी उपलब्ध होता है।

प्रस्तुत अनुसंधान के माध्यम से ब्रिटिश कालीन उत्तराखण्ड का भी ज्ञान प्राप्त होता है। उस समय उत्तराखण्ड के शासक कौन थे किस प्रकार उत्तराखण्ड में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ। ब्रिटिश शासकों द्वारा उत्तराखण्ड की व्यवस्था को सुधारने हेतु तथा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु किन–किन प्रावधानों को किया तथा उत्तराखण्ड में बन्दोबस्ती की व्यवस्था हेतु क्या नियमावली बनायी इन सबका ज्ञान प्राप्त होता है। यह शोध ग्रन्थ उत्तराखण्ड में ब्रिटिश शासन के समय नियमित पुलिस की नियुक्ति क्यों नहीं की गयी तथा राजस्व पुलिस द्वारा ही सभी कार्यों को कैसे किया गया आदि का सम्पूर्ण अध्ययन कराने में सफल है। यह उत्तराखण्ड की दोहरी शासन व्यवस्था का ज्ञान प्रदान करने में भी सहायक है। उत्तराखण्ड में टिहरी रियासत में अप्रत्यक्ष तथा शेष उत्तराखण्ड में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का भी अध्ययन कराता है। इस शोध के द्वारा उस समय की सामाजिक स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्थाओं, आन्दोलनों, आन्दोलित क्षेत्रों एवम् प्रमुख आन्दोलनकारियों का ज्ञान प्राप्त करना सम्भव है।

इन अनुसंधान के माध्यम से स्वतन्त्र भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके माध्यम से स्वतन्त्रता के समय उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति तथा उसका अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त होता है। यह उत्तराखण्ड राज्य की राजनैतिक स्थिति के अर्न्तगत राजनैतिक दलों, संगठनों, राजनेताओं एवं विभिन्न सरकारों का ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है। इसके माध्यम से उत्तराखण्ड की सामाजिक स्थिति में उसके रीति रिवाज, धर्म व्यवस्थाओं, सामाजिक स्वरूप, सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, खानपान, वेशभूषा, जाति धर्म, संस्कारों एवम् महान विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इस भाग के अध्ययन से ज्ञान पिपासुजनों को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अर्न्तगत विभिन्न अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधानशालाओं, पर्यावरण तथा वातावरणीय अध्ययन केन्द्रों, प्रशासनिक केन्द्रों, प्रशिक्षण संस्थाओं, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं, सैन्य संस्थाओं तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं का क्रमबद्ध आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है।

इस शोध के माध्यम से पूर्व उत्तराखण्ड का मुख्य भाग उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ उत्तराखण्ड पुलिस के संरचनात्मक स्वरूप तथा पुलिस प्रशासन के

Estelar

अधिकारियों तथा उनके अधिकार क्षेत्रों एवं उनके अधिकारों के साथ उनके कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अध्ययन से राज्य, मण्डल तथा जिले स्तर के अधिकारियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इस भाग में पुलिस के लिए अपराध नियन्त्रण हेतु बनाये गये नियमों तथा कानूनों का ज्ञान भी होता है। पुलिस किन–किन धाराओं का प्रयोग कब–कब कर सकती है यह भी इनके माध्यम से सुनिश्चित होता है। पुलिस द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में अपराधों के नियन्त्रण के साथ प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे– दंगों, उपद्रवों, आन्दोलनों, जलूसों तथा सभाओं इत्यादि में अपना धैर्य बनाये रखते हुए नियन्त्रण हेतु क्या कार्य किये जाते हैं इनका विशद ज्ञान प्राप्त होता है। पुलिस व समाज एक दूसरे के पहलु माने जाते हैं। यह किस प्रकार एक दूसरे के लिये कार्य करते हैं। इसका ज्ञान भी इस अध्ययन ग्रन्थ के माध्यम से प्राप्त होता है। पुलिस को समाज के साथ सकारात्मक अन्तःसम्बन्ध स्थापित करने हेतु किन–किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए आदि सबका ज्ञान इस शोध प्रबन्ध के माध्यम से प्राप्त होता है।

7.3.1 अध्ययन की परिसीमाएं :–

प्रस्तुत शोध कार्य को सफलता पूर्वक सम्पादित करने में शोधार्थी को अनेक प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। यह शोध कार्य साहित्यिक तथा ऐतिहासिक पुस्तकीय तथ्यों एवम् प्रशासन तथा पुलिस के कार्यों पर आधारित आंकड़ों से सम्बन्धित है। इस कार्य को करने में सरलता से आंकड़ों का एकत्रीकरण करना भी सम्भव नहीं हो रहा था लेकिन इसके उपरान्त भी शोधार्थी द्वारा तर्कसम्मत आंकड़ों का एकत्रिकरण कर शोध को तथ्यपरक व वस्तुनिष्ट बनाने का पूर्ण प्रयास किया है।

इस शोध कार्य को करने के लिए उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था के साथ भारतीय प्रशासन व्यवस्था से सम्बन्धित तथ्यों की भी आवश्यकता पड़ी। जिसे एकत्रित करना सरल नहीं हो रहा था जो उत्तराखण्ड में सरलता से प्राप्त होने भी सम्भव नहीं थे। जिसके लिये शोधार्थी द्वारा अथक प्रयास के द्वारा भिन्न–भिन्न माध्यमों से प्राप्त करके अपने शोध में समाहित कर उसे सारगर्भित बनाने का कार्य किया गया। इस शोध से सम्बन्धित साहित्य छितरी या खण्डीय अवस्था में था जिसे एक स्थान पर लाकर सारगर्भित बनाना अत्यन्त जटिल कार्य था इस शोध कार्य को मूल रूप से उत्तराखण्ड में रहकर ही सम्पादित किया गया जहाँ पर समस्त अध्ययन तथ्यों को प्राप्त करना असम्भव था जिसके लिए अनेकों बार अनुमानित सम्बन्धित साहित्य केन्द्रों में जाकर खोजा गया तद्उपरान्त कतिपय

Estelar

परिस्थितियों में सफलता प्राप्त हुई। इन सब जटिलताओं के उपरान्त भी इस शोध कार्य को तथ्यपरक तथा सारगर्भित आधार पर प्रस्तुत करने का अपना पूर्ण प्रयास शोधार्थी द्वारा किया गया है।

7.4 भविष्य में सम्बन्धित दिशा में शोध हेतु सुझाव :–

प्रशासन व्यवस्था का क्षेत्र अत्यधिक विशाल तथा वृहत है। जिसके सन्दर्भ में जितना सोचा या समझा जाये वह भी अल्प ही होगा। प्रशासन व्यवस्था का स्वरूप भारत के भिन्न–भिन्न राज्यों में अलग–अलग प्रकार का पाया जाता है। प्रशासन व्यवस्था में कानून व व्यवस्था का निर्धारण पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता है। पुलिस प्रशासन जनता के मध्य शान्ति के वातावरण का निर्धारण कर सुरक्षा का अहसास कराने का कार्य करता है। भारतीय पुलिस व्यवस्था का मूल आधार सभी प्रान्तों में एक होते हुए भी उसमें भिन्नताएँ है। शोध कार्य को करते समय शोधार्थी के मन मस्तिष्क में निरन्तर यह विचार आते रहे कि इस अध्ययन शीर्षक से सम्बन्धित अन्य निम्न क्षेत्रों पर भी शोध कार्य किया जा सकता है जो वास्तव में शिक्षापयोगी होगा–

1– उत्तराखण्ड की प्रशासन व्यवस्था के अन्य आयाम जैसे नगर प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, विभिन्न समितियों का प्रशासन इत्यादि पर शोध कार्य किया जा सकता है।

2– उत्तराखण्ड की प्रशासन व्यवस्था का अन्य राज्यों की प्रशासन व्यवस्था से तुलनात्मक आधार पर अध्ययन से सम्बन्धित शोध कार्य किया जा सकता है।

3– अन्य राज्यों की प्रशासन व्यवस्था में पुलिस की भूमिका का अध्ययन विषयों या शीर्षकों पर शोध कार्य किया जा सकता है।

4– उत्तराखण्ड राज्य की प्रशासन व्यवस्था में पुलिस की भूमिका के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक इकाईयों की भूमिकाओं पर भी शोध कार्य किया जा सकता है।

Estelar

5– उत्तराखण्ड राज्य में नियमित पुलिस तथा राजस्व पुलिस की भूमिकाओं का तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक पर शोध कार्य किया जा सकता है।

6– उत्तराखण्ड राज्य की सम्पूर्ण प्रशासन व्यवस्था का अपने सीमान्त राज्यों की सम्पूर्ण प्रशासन व्यवस्था से तुलनात्मक अध्ययन विषय पर शोध कार्य किया जा सकता है।

Estelar

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 **दुम्का चन्द्रशेखर एवम् जोशीघनश्याम –** "उत्तराखण्ड इतिहास और संस्कृति", प्रकाश बुक डिपो बरेली–2003।

2 **डा0 हुसैन जाकिर –** "पृथक राज्य आन्दोलन और क्षेत्रिय राजनीति", प्रकाश बुक डिपो बरेली–2003।

3 **डा0 बलूनी दिनेश चन्द्र –** "उत्तराँचल संस्कृति, लोकजीवन इतिहास एवम् पुरातत्व", प्रकाश बुक डिपो बरेली–2001।

4 **पाण्डे बद्रिदत्त –** "कुमाऊँ का इतिहास", देशभक्त प्रकाशन अल्मोड़ा– 1937।

5 **रतूड़ी हरिकृष्ण –** "गढ़वाल का इतिहास", गढ़वाली प्रेस देहरादून–1920।

6 **चौहान शिव सिंह –** "गढ़वाल का राजनीतिक इतिहास", बस स्टेशन चमोली–1977।

7 **डा0 मनराल धर्मपाल सिंह –** "स्वतन्त्रता संग्राम में कुमाऊँ गढ़वाल का योगदान", प्रकाश बुक डिपो बरेली–1978।

8 **हुसैन एस0 आबिद –** "भारत की राष्ट्रीय संस्कृति" नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली– 1987।

9 **आचार्य दीपांकर–** "कौटिल्य कालीन भारत" उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ–1989।

10 **(श्रीमती) अवस्थी शशि –** "प्राचीन भारतीय समाज", बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी–1981।

11 **श्रीवास्तव के.सी. –** "विश्व सभ्यता का इतिहास", उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ–1990

12 **कटोच यशवन्त सिंह –** "उत्तराखण्ड का नवीन इतिहास (मध्य हिमालय)" खण्ड–3, बिनसर पब्लिकेशन

Estelar

कम्पनी देहरादून–2006।

13 **डबराल शिव प्रसाद –** "उत्तराखण्ड का इतिहास" (भाग–6), विरगाथा प्रकाशन दुगड्डा गढ़वाल–1975।

14 **कटोच यशवन्त सिंह –** "गढ़वाल का इतिहास", भागीरथी प्रकाशन गृह, नई टिहरी–2007।

15 **वाल्टन एच.जी. –** "गढ़वाल हिमालय का गजेटियर", उत्तराखण्ड प्रकाशन, चमोली उत्तराखण्ड–2005।

16 **बलौदी राजेन्द्र प्रसाद –** "उत्तराखण्ड समग्र ज्ञानकोश", बिनसर पब्लिकेशन कम्पनी देहरादून–2008।

17 **प्रो0 शर्मा डी.डी. –** "उत्तराखण्ड का सामाजिक एवम् सांस्कृतिक इतिहास (3(1))", उत्तरायण प्रकाशन, नैनीताल रोड हल्द्वानी–2003।

18 **प्रो0 शर्मा डी.डी. –** "उत्तराखण्ड का सामाजिक एवम् सांस्कृतिक इतिहास (5)", उत्तरायण प्रकाशन, नैनीताल रोड हल्द्वानी–2003।

19 **वर्मा परिपूर्णानन्द –** "भारतीय पुलिस", विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी–2000।

20 **उपाध्याय देवेन्द्र –** "उत्तराखण्ड में राजस्व पुलिस व्यवस्था", राष्ट्रीक पुस्तक न्यास भारत, नई दिल्ली–2011।

21 **शाह गिरिराज –** "अपराध–कारण और निवारण", विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी–2002।

22 **वर्मा परिपूर्णानन्द –** "पुलिस के नये आयाम तथा पुलिस की समस्याएँ", विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी–2002।

23 **पन्चोली जी.सी. –** "उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007", मदान

Estelar

लॉ हाउस सहारनपुर–2008।

24 **राय हाकिम –** "थाना प्रबन्धन", दि ब्राइट लॉ हाउस, नई दिल्ली–2010।

25 **राय हाकिम –** "अपराधों की विवेचना", दि ब्राइट लॉ हाउस, नई दिल्ली–2009।

26 **राय हाकिम –** "अपराध निरोध", दि ब्राइट लॉ हाउस, नई दिल्ली–2006।

27 **राय हाकिम –** "भारतीय दण्ड संहिता 1860", दि ब्राइट लॉ हाउस, नई दिल्ली–2002।

28 **मीणा राम सिंह, (पुलिस महानिरीक्षक कुमायूँ परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड) –** "चुनाव सम्बन्धी दिशा निर्देश", पुलिस विभाग–2012।

29 **सिंह विक्रम (पुलिस महानिदेशक अ0प्र0)–** "थाना अभिलेखों का सार संग्रह", आर.के. लॉ पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलाहाबाद ।

30 **सांगा प्रेम सिंह –** "पुलिस रिफॉर्म फॉर 21 सेंचुरी", अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा–2014।

31 **अली फरजन्द व यादव लेखराम –** "उत्तराँचल पुलिस कांस्टेबल कोर्स", दि ब्राइट लॉ हाउस, दिल्ली–2001।

32 **पाण्डेय अजय शंकर –** "स्वाधीनता संघर्ष और पुलिस", राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली–2000।

33 **मोहन सविता –** "संस्कृतवांगमये न्यायदण्डप्रशासनव्यवस्था", उत्तराँचल संस्कृत अकादमी हरिद्वार, उत्तराँचल–2006।

34 **मेहरा सुरेन्द्र सिंह –** "मध्य हिमालय की रियासतों में शासन प्रबन्ध और समाज", तक्षशिला प्रकाशन नई

Estelar

दिल्ली–2001।

35 **चातक गोविन्द –** "भारतीय लोक संस्कृति का सन्दर्भ : मध्य हिमालय", तक्षशिला प्रकाशन नई दिल्ली–2004।

36 **चातक गोविन्द –** "संस्कृति, समस्या और संभावना", तक्षशिला प्रकाशन नई दिल्ली।

37 **भट्ट त्रिलोक चन्द्र –** "उत्तराखण्ड आन्दोलन (पृथक राज्य आन्दोलन का ऐतिहासिक दस्तावेज)", तक्षशिला प्रकाशन नई दिल्ली।

38 **जैन सुरेश, जैन निमित –** "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973", तुलसी साहित्य पब्लिकेशन, मेरठ।

39 **मित्तल जे.के. –** "भारतीय विधि का इतिहास", सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।

40 **श्रीवास्तव के.के. –** "भारत का संवैधानिक इतिहास", सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।

41 **पाण्डेय जे.एन. –** "भारत का संविधान (43वें संशोधन सहित)", सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।

42 **सिंह इन्द्रजीत –** "व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि", सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।

43 **श्रीवास्तव शुक्ला एवं –** "तुलानात्मक विधि", सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद।

44 **बैस नरेन्द्र सिंह –** "इतिहास शिक्षण", जैन प्रकाशन मन्दिर जयपुर–2008।

45 **झा डी.एन. –** "प्राचीन भारत एक रूपरेखा", पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली–1955।

Estelar

46 **स्मिथ विसेन्ट ए. –** "अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया", आक्सफोर्ड प्रेस–1904।

47 **सरकार सुमित –** "आधुनिक भारत (1885 से 1947)", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली–1992।

48 **जैन एम.एस. –** "आधुनिक भारत का इतिहास", वाइली ईस्टर्म लिमिटेड नई दिल्ली–1984।

49 **श्रीवास्तव कृष्ण चन्द्र –** "प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति", यूनाइटेड बुक डिपो इलाहाबाद–2002।

50 **वर्मा हरिश चन्द्र –** "मध्यकालीन भारत (भाग–1)", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–2002।

51 **वर्मा हरिश चन्द्र –** "मध्यकालीन भारत (भाग–2)", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–2002

52 **हसन खॉ मोईनुद्दीन –** "गदर–1857 (आंखों देखा विवरण)", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

53 **शर्मा रामशरण –** "भारत में आर्यो का आगमन", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

54 **शर्मा रामशरण –** "प्रारम्भिक भारत का आर्थिक व सामाजिक इतिहास", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

55 **चन्द्र विपिन –** "आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली

Estelar

विश्वविद्यालय दिल्ली।

56 **चन्द्र विपिन –** "भारत का स्वतंत्रता संघर्ष", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–2001।

57 **डी.एन. झा एवं के.एम. श्रीमाली–** "प्राचीन भारत का इतिहास", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–2002।

58 **शुक्ल रामलखन –** "आधुनिक भारत का इतिहास", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

59 **शर्मा राम अवतार व यादव सुषमा –** "भारतीय राजनीति : जवलन्त प्रश्न", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

60 **कश्यप सुभाष –** "संसदीय लोकतन्त्र का इतिहास", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

61 **कश्यप सुभाष –** "भारत का सांविधानिक विकास और संविधान", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

62 **कश्यप सुभाष –** "स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास", हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

63 **विपिन चन्द्र–** "आजादी के बाद का भारत", हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

64 **सतीश चन्द्र–** "उत्तर मुगल कालीन भारत", हिन्दी माध्यम

Estelar

कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

65 **शर्मा राम विलास –** "भारतीय नवजागरण व यूरोप" हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

66 **शर्मा राम विलास –** "पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद", हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

67 **शर्मा राम विलास –** "भारतीय इतिहास और ऐतिहासिक भौतिकवाद", हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

68 **शर्मा राम विलास –** "स्वाधीनता संग्राम के बदलते परिपेक्ष्य", हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

69 **कश्यप सुभाष –** "संसदीय लोकतन्त्र का इतिहास", हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

70 **राय सत्या एम. –** "भारत में राष्ट्रवाद", हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

71 **राय सत्या एम. –** "भारत में उपनिवेशवाद", हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

72 **कौशिक सुशिला –** "भारतीय शासन व राजनीति", हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

73 **थापर रोमिला –** "भारत का इतिहास", राजकमल प्रकाशन नई

Estelar

दिल्ली–2004।

74 **कोसंवी दामोदर धर्मानन्द –** "प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।

75 **मुखर्जी राधा कुमुद –** "चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली–2004।

76 **मुखर्जी राधा कुमुद –** "हिन्दू सभ्यता", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली–2004।

77 **मुखर्जी राधा कुमुद –** "प्राचीन भारत", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली–2004।

78 **शर्मा रामशरण –** "पूर्व मध्यकालीन भारत का सामंती समाज और संस्कृति", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।

79 **शर्मा रामशरण –** "प्राचीन भारत में भौतिक एवं सामाजिक संरचनाएँ", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।

80 **शर्मा रामशरण –** "भारतीय सामंतवाद", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।

81 **शर्मा रामशरण –** "प्राचीन भारत के राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।

82 **शर्मा रामशरण –** "भारत के प्राचीन नगरों का पतन", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।

83 **भट्टाचार्य सत्यसाची –** "आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।

84 **हबीब इरफान –** "मध्यकालीन भारत (खण्ड 1 से 6)", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।

85 **झा विवेकानन्द –** "इतिहास (खण्ड 1 से 3)", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।

Estelar

86 **मुखिया हरवंस –** "मध्यकालीन भारत नए आयाम", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।

87 **फड़िया बी0एल0 –** "भारत में लोक प्रशासन", साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा–2004।

88 **माहेश्वरीएम.आर. –** "इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन", ओरियण्ट लॉगमैन–1979।

89 **के.एन. अशरफ–** "हिन्दुस्तान के निवासियों का जीवन व उनकी परिस्थितियाँ", हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

90 **मजुमदार व गोपालशरण–** "प्रागितिहास", हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

91 **नरवणे विश्वनाथ –** "आधुनिक भारतीय चिन्तन", राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली–1966।

92 **आचार्य झा आनन्द –** "चार्वाक्–दर्शन", हिन्दी समिति सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ–1969।

93 **मुकर्जी रविन्द्र नाथ –** "सामाजिक विचारधारा (कॉम्ट से मुकर्जी तक)", विवेक प्रकाशन दिल्ली–1999।

94 **मदान जी.आर. –** "समाज शास्त्र के सिद्वान्त", विवेक प्रकाशन दिल्ली।

95 **मुकर्जी रविन्द्र नाथ –** "सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा", विवेक प्रकाशन दिल्ली।

96 **मदान जी.आर. –** "भारतीय सामाजिक संस्थायें", विवेक प्रकाशन दिल्ली।

97 **पाण्डेय वैध तथा –** "जैविक मानवशास्त्र", विवेक प्रकाशन दिल्ली।

98 **हर्शकोबित्स–** "सांस्कृतिक मानवशास्त्र", विवेक प्रकाशन

Estelar

दिल्ली।

99 **बोटोमोर टॉम –** "राजनीतिज्ञ समाजशास्त्र", विवेक प्रकाशन दिल्ली।

100 **शर्मा राजेन्द्र –** "शिक्षा दर्शन", साहित्यागार जयपुर–1999।

101 **जाटव डी.आर. –** "भारतीय दर्शन", मलिक एण्ड कम्पनी जयपुर–1994।

102 **जैन हरीन्द्र भूषण –** "जैन–अगशास्त्र के अनुसार मानव व्यक्तित्व का विकास", सन्मति ज्ञानपीठ आगरा–1974।

103 **जॉन डब्लू बैस्ट व जेम्स बी0 कॉन –** "रिसर्च इन एजुकेशन", प्रिंटिस हॉल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली–1993।

104 **लाल रमन बिहारी व शर्मा कृष्णाकान्त –** "भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवम् समस्याएँ", आर0 लाल बुक डिपो मेरठ–2013–14।

105 **चतुर्वेदी भौलेन्द्र कुमार –** "भारतीय पुलिस का इतिहास", पुलिस अनुसन्धान एवम् विकास ब्यूरो (नई दिल्ली)।

106 **तनेजा पुष्पलता –** "भारतीय प्रजातन्त्र और पुलिस", समयिक प्रकाशन दिल्ली–1997।

107 **श्रीवास्तव रेवा शरण –** "समसामयिक विकासशील समाज में पुलिस की भूमिका", पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली (6)।

108 **महाजन अशोक –** "प्राचीन भारत में पुलिस संस्कृति एवं शिक्षा", मन्त्रालय नई दिल्ली।

109 **मलिक भोलानाथ –** "पुलिस एक दार्शनिक विवेचन", प्रभात प्रकाशन दिल्ली।

110 **रेड्डी ओ. चिनप्पा –** "पुलिस जनता एवं कानून"।

Estelar

111 **तिवाड़ी ज्ञान प्रकाश –** "अल्मोड़ा नगर एक ऐतिहासिक अध्ययन प्रारम्भ से 1947 तक", अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल–1985।

112 **थपलियाल रेखा –** "प्राचीन मध्य हिमालय, कुमाऊँ का इतिहास– सांस्कृतिक भूगोल, नृवंशीय अध्ययन," नॉर्दन बुक सेन्टर नई दिल्ली–1999।

113 **पाठक शेखर –** "उत्तराखण्ड में कुली बेगार प्रथा", राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली–1987।

114 **मठपाल यशोधर –** "उत्तराखण्ड में संस्कृति की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि", उत्तराखण्ड शोध संस्थान, पन्तनगर–1987।

115 **सकलानी शक्ति प्रसाद –** "उत्तराखण्ड की विभूतियाँ", उत्तरा प्रकाशन टॉजिट कैम्प, रूद्रपुर–2001।

116 **सिंघल दामोदर –** "आधुनिक भारती समाज एवम् संस्कृति", मिनाक्षी प्रकाशन मेरठ।

117 **अग्रवाल लोकेश –** "राजनीति विज्ञान के मूल सिद्वान्त", हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।

118 **कश्यप सुभाष –** "संविधान की कहानी", नेशनल पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली–1984।

119 **चन्द्र दीक्षित रमेश –** "उ0प्र0 पुलिस पत्रिका", अमीर चन्द्र शर्मा पब्लिकेशन–1998।

120 **पराश राजेन्द्र –** "पुलिस एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन", दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन नई दिल्ली–1986।

121 **बावेल बसन्ती लाल –** "मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993", सुविधा लॉ हाउस भोपाल–1997।

122 **बोहरा भूषण लाल –** "मानवाधिकार व पुलिस बल" शारदा प्रकाशन

Estelar

दिल्ली–1996।

123 **वासु डी.डी. –** "भारत का संविधान" प्रिंटिंस हाल पब्लिकेशन दिल्ली–1998।

124 **वत्रा मंजुला –** "प्रोटेक्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन", दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन नई दिल्ली–1989।

125 **मोहनन् वी.के. –** "क्राइम कम्यूनिटी एण्ड पुलिस", ज्ञान पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।

126 **मिश्रा शरद चन्द्र –** "पुलिस संगठन व प्रशासन" पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो नई दिल्ली।

127 **राव जी.वी. –** "भारतीय पुलिस कुछ विचार", पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो नई दिल्ली–1986।

128 **सारस्वत अक्षेन्द्र नाथ –** "सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और पुलिस", राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली–1998।

129 **लवानिया जगदीश –** "भारतीय पुलिस भर्ती व प्रशिक्षण", लवानिया प्रकाशन हाथरस, अलीगढ़।

130 **नाथ विरेन्द्र –** "जूडीशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशियन्ट इंडिया", जानकी प्रकाशन पटना–1971।

131 **स्पेयर परसिवल –** "ए हिस्ट्री ऑफ इण्डिया", पैंग्विन बुक्स इण्डिया (प्रा0) लिमिटेड नई दिल्ली–1998।

132 **टिहरी गढ़वाल स्टेट रिकार्ड प्रेस लिस्ट सिरियल (40 से 81 तक)** प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार महानगर, लखनऊ।

133 **प्री–म्यूटिनी रिकार्डस कुमाऊँ गढ़वाल (सन् 1815 से 1857 तक)** प्राप्त प्री–म्यूटिनी रिकार्डस उ0प्र0 रा0अ0 लखनऊ।

Estelar

134 **टिहरी गढ़वाल स्टेट रिकार्डस् सिरियल 9 से 57 तक (सन् 1942 से 1946)** प्राप्त– मण्डलीय अभिलेखागार देहरादून।

135 **भू–बन्दोबस्त रिपोर्ट मौजा (भिन्न–भिन्न गाँव व पट्टी)** प्राप्त– राजस्व एवं न्यायिक अभिलेखागार उत्तरकाशी।

136 **एटकिन्सन ई.टी. –** "द हिमालयन गजेटियर भाग–1, 2, 3", इलाहाबाद–1886।

137 **वाल्टन एच.जी. –** "देहरादून ए गजेटियर वाल्यूम–।", इलाहाबाद–1911।

138 **वाल्टन एच.जी. –** "ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर", इलाहाबाद–1921

139 **वाल्टन एच.जी. –** "अल्मोड़ा गजेटियर", इलाहाबाद–1928।

140 **द इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया–** वाल्यूम 1 से 12, आक्सफोर्ड प्रेस–1908।

141 **खुराना पी.एन. –** "दी इन्डियन पुलिस जनरल" वाल्यूम एल–।। नं0–1, जनवरी से मार्च 2005।

142 **चौधरी गोपाल के.एन. –** "दी पुलिस जनरल" बाल्यूम एल–XII नं0–1, जनवरी से मार्च 2015।

143 **फाडिया वी.एल. व फाडिया कुलदीप –** "पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन", साहित्य भवन आगरा–2013।

144 **स्प्रू आर. के. –** "एडमिनिस्ट्रेट्रिव थ्योरिज एण्ड मैनेजमेन्ट थॉट", पी0एच0एल0 दिल्ली–2011।

145 **144. कश्यप सुभाष चन्द्र –** "क्राइम क्रप्सन एण्ड गुड गर्वर्नेन्स", उपल पब्लिकेशन, नई दिल्ली–1997।

146 **अब्राह्म फ्रान्सिस एण्ड मॉर्गन** "सोसियोलॉजिकल थॉट", मैकमिलन पब्लिशर

Estelar

जॉन हेनरी – इन्डिया लिमिटेड चन्नई–2011।

147 **अरोरा रमेश के एण्ड गोयल रजनी –** "इण्डियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन"– इन्टरनेशनल लिमिटेड पब्लिशर नई दिल्ली–2013।

148 **पॉल एम0 विहसन, जेम्स एल0 क्लिन व हेर्ज टी0 फ्लेकन्स–** "पुलिस कम्यूनिटी रिलेशन", गुड ऐयर पब्लिशिंग कम्पनी (1976)।

149 **मिश्रा के.के. –** "पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनसियन्ट इन्डिया", मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली–1987।

150 **शर्मा आर.डी. –** "डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया", एच.के. पब्लिशर नई दिल्ली–1990।

151 **बाबा पी.एस. –** "पुलिस पब्लिक इन्टरफेस", दी इन्डियन जनरल (2000)।

152 **तिवारी आनन्द कुमार –** "चेन्जिंग पब्लिक एक्सपैक्टेशन एण्ड कम्यूनिटी पुलिसिंग", दी इन्डियन पुलिस जनरल वाल्यूम 54 (3) 2007।

153 **कर्लेक्टर हिरानमे –** "इनइफ्यिशन्ट पुलिस एन्ड फ्लोवड सिस्टम", दी पॉइनियर नई दिल्ली–2008।

154 **शर्मा दिवाकर –** "पब्लिक रिलेशन", दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन नई दिल्ली–2004।

Estelar